न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–26/2018

–:: अनवान ::–

1.हंसराज पुत्र भादरराम जाति स्वामी साकिन 10 एस0पीडी0 तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1.जसराम पुत्र गोविन्दराम जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़
2.कुम्भाराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़
3.तहसीलदार (राजस्व)सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री राजवीर भादू अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री संजय कुमार सैन अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1–2
3.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

दिनांकः–07.01.2020

–:: निर्णय ::–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता भादरराम पुत्र हीराराम पुत्र जीसुख के नाम चक 10 एस0पी0डी0 प0नं0 208/59 कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17/2.024 हैक्टर खातेदारी भूमि बंटवारा कर प्रार्थी को दे दी गई एवं चक सरदारपुरा खर्था प0नं0 208/46 कि0नं0 1 ता 15/3.975 हैक्टर अ0क0 भूमि पर पिछले 25–30 वर्षो का कब्जा कास्त चला आ रहा है उक्त जैरवाद भूमि पर प्रार्थी की फसल तारामीरा व सरसों आदि बिजान्त कर रखा है। प्रार्थी के पिता द्वारा अपने नाम की खातेदारी भूमि चक 10 एस0पी0डी0 के प0नं0 208/59 कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17/2.024 हैक्टर अ0क0 एवं 9 एस0पी0डी0–बी के प0नं0 91/391(14) कि0नं0 8 ता 24, प0नं0 91/392(25) के कि0नं0 1 ता 4, 6 ता 25 प0नं0 228/04(26) कि0नं0 2 ता 9, 12 ता 17, 24–25 प0नं0 228/5(35) कि0नं0 3 ता 5 कुल 12.267 हैक्टर में 1.012 हैक्टर रकबा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता द्वारा काफी वर्षो पूर्व ही घेरूलू बंटवारा कर प्रार्थी को चक 10 एस0पी0डी0 प0नं0 208/59 कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17/2.024 हैक्टर अ0क0 रकबा दे दिया तथा ग्राम सरदारपुरा खर्था प0नं0 208/46 कि0नं0 1 ता 15/3.795 हैक्टर अ0क0 रकबा पर प्रार्थी काफी वर्षो से शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। जैरप्रकरण रकबा प्रार्थी द्वारा आंवटन नियम 21ए के तहत पुराना कब्जा में आवंटन करवाने हेतु आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो मौका पर तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर जैरकार है नियमानुसार कानूनन प्रार्थी का वर्ष 1981 से कब्जा साबित है व इसी आधार पर प्रार्थी कानून मरूसीदार हो चुका है, मात्र घोषित होना ही. शेष रहा है। उक्त रकबा मौका पर आराजीराज दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2

भूमाफिया है जबरन प्रार्थी के जैरप्रकरण रकबा से बेदखल करना चाहता है। प्रार्थी को अपने पिता से घेरूलू बंटवारा के रूप से 2.024 है0 रकबा खातेदारी तथा 3.795 है0 रकबा पुराना कब्जा काश्त भूमि है। इसलिये प्रार्थी पुराने कब्जे के आधार पर आवंटन नियमों के तहत आंवटन करने के लिए पूरी पात्रता रखता है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये अप्रार्थी सं0 1 ता 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वाद के निर्णय तक चक 10 एस0पी0डी0 प0नं0 208/59 कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17/2.024 हैक्टर अ0क0 रकबा दे दिया तथा ग्राम सरदारपुरा खर्था प0नं0 208/46 कि0नं0 1 ता 15/3.795 हैक्टर अ0क0 रकबा में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करावें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 27.02.2018 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. अप्रार्थी सं. 1–2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 10.09.2018 को जवाब बंद कर दिया गया। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अप्रार्थी सं0 1–2 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी 1–2 ने प्रार्थी को प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।
5. हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार चक 10 एस0पी0डी0 खाता सं0 7 नया 65 पुराना प0नं0 208/59(65) कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17/2.024 हैक्टर अ0क0 भूमि भंवरलाल–भादरराम–भैराराम –काशीराम पि0 हरिराम कौम बैरागी सा.सरदारपुरा खर्था खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी ने यह साबित नही किया है उक्त रकबा उन्हे घेरूलू बंटवारा में प्राप्त हुई है। ना ही उसने अपने पिता एवं सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है तथा ग्राम सरदारपुरा खर्था प0नं0 208/46 कि0नं0 1 ता 15/3.795 हैक्टर अ0क0 भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त रकबा की जमाबंदी भी प्रस्तुत नही की गई है। प्रार्थी के कथन अनुसार उक्त रकबा उनके द्वारा आवंटन नियम 21ए के तहत पुराना कब्जा में आवंटन करवाने हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जो मौका पर तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर जैरकार है। प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष साबित नही होता है। इसलियें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 27.02.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है।
7. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: